

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र [आर.ए.एस.]
प्रकरण संख्या 152/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जसविन्द्र कौर पत्नी राज सिंह उर्फ बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।		1. जगवीर सिंह पुत्र राज सिंह उर्फ बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
2. संदीप कौर पत्नी जगवीर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।		2. नरेश कुमार पुत्र तुलछ राम जाति अरोड़ा निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
3. करणी सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।		3. वीरभान पुत्र तुलछ राम जाति अरोड़ा निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
4. मनजीत सिंह पुत्र करणी सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।		4. राहुल कुमार पुत्र नरेश कुमार जाति अरोड़ा निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
5. हरजिन्द्र कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।		5. विक्की कुमार पुत्र नरेश कुमार जाति अरोड़ा निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर।
		6. जोगेन्द्र सिंह पुत्र चेत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।
		7. वीरेन्द्र बराड़ पुत्र हरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 29 एफ तहसील श्री करणपुर जरिए :- मुख्यारेखास माता सर्वजीत कौर बराड़ पत्नी हरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
		8. सर्वजीत कौर बराड़ पत्नी हरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
		9. हरदीप सिंह पुत्र वचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।
		10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
तारीख रजू:- 19.07.2022

उपस्थित: 1. श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजु अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 8

--निर्णय--

दिनांक: 14.11.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 28 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर, की सीमा जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 12/4 व 63/44 तथा राजस्व ग्राम चक 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 12/12, 13/13,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

14/14, 23/23, 79/77, 87/85 व 105/100 में वर्णित भूमि वादीगण एवम् पक्षकारान के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि से, पारिवारिक बंदोबस्त के अनुसार अपनी जोत का विभाजन कर रखा है और विभाजन के रूप से काश्तकार की हैसियत से काविज चले आ रहे है। वादीगण पारस्परिक सम्पति भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण हम वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, टेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाने चाहते है तथा वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादीगण ने आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार सहमति से बंटवारा करवाकर, अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि राजस्व अभिलेख में कब्जानुसार दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण ने कहा कि पारिवारिक परेशानियों व व्यस्तता के चलते हम ऐसा करने में असमर्थ है। यही वाद कारण है। प्रतिवादीगण की असहमति के कारण, माननीय न्यायालय में वाद पत्र संस्थित करने के अतिरिक्त अन्य विकल्प हम वादीगण के पास शेष नहीं रहा। इस कारण वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम 28 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 12/4 व 63/44 तथा राजस्व ग्राम चक 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 12/12, 13/13, 14/14, 23/23, 79/77, 87/85 व 105/100 में वर्णित भूमि वादीगण के हिस्सा की भूमि का अन्य काश्तकारान से जोत विभाजन करवाकर, वादीगण के हिस्सा में आयी भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6, 9 वाद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 28 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 12/4 व 63/44 तथा राजस्व ग्राम चक 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 12/12, 13/13, 14/14, 23/23, 79/77, 87/85 व 105/100 में वर्णित भूमि में मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से किलावाईज विभाजन करवाया जाकर, खाता व लगान कायम किया जावे। चक 30 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 105 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 के 0.253 हेक्टेयर, 2 के 0.253



हेक्टैयर, 9 ता 12 सालम-सालम, 19, 20 सालम-सालम, किला नम्बर 21/1 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 22/1 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 3 के 0.127 हेक्टैयर पश्चिम हिस्सा, किला नम्बर 8 के 0.127 हेक्टैयर पश्चिम हिस्सा, किला नम्बर 23/1 के 0.114 हेक्टैयर, पश्चिम हिस्सा एवं किला नम्बर 21/2 के 0.025 हेक्टैयर गैरमुमकिन खाला, किला नम्बर 22/2 के 0.025 हेक्टैयर गैरमुमकिन खाला एवं किला नम्बर 23/2 के 0.012 हेक्टैयर गैरमुमकिन खाला भूमि कुल 3.162 हेक्टैयर भूमि का अन्य सहकाशकारान से किलावाइज विभाजन करवाया जाकर, उक्त किलाजात का अलग से हम प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम से खाता व लगान अलग से कायम किया जावे। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम की नकल वादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापति जाहिर की। जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8 को वादीगण का वादपत्र स्वीकार है तथा वादीगण को प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काशतकार है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 28 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 12/4 के मुरब्बा नम्बर 37, 39 की 3.971 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 63/44 के मुरब्बा नम्बर 30, 37, 53/9 की 4.151 हेक्टैयर भूमि तथा राजस्व ग्राम चक 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 12/12 के मुरब्बा नम्बर 5, 57/23 की 1.518 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 13/13 के मुरब्बा नम्बर 5, 57/8 की 3.542 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 14/14 के मुरब्बा नम्बर 22 की 1.518 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 23/23 के मुरब्बा नम्बर 1.518 हेक्टैयर, खाता संख्या 79/77 के मुरब्बा नम्बर 22 की 3.036 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 87/85 के मुरब्बा नम्बर 23 की 3.035 हेक्टैयर व खाता संख्या 105/100 के मुरब्बा नम्बर 2, 3, 57/10 की 9.487 हेक्टैयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8 के हिस्सा में भूमि आई हुई है। माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1,7,8 ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1,7,8 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1,7,8 व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव

उपरोक्त अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

जसविन्द्र कौर आदि बनाम जगवीर सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 91, 188, 91, 92ए, आरटीए,
प्रकरण संख्या 152/2022

मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1,7,8 का काउन्टर क्लेम डिक्री
क्रिया जाकर बंटवारा क्रिया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 28 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 12/4 के मुर्ब्या नम्बर 37, 39 की 3.971 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 63/44 के मुर्ब्या नम्बर 30, 37, 53/9 की 4.151 हेक्टैयर भूमि तथा राजस्व ग्राम चक 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 12/12 के मुर्ब्या नम्बर 5, 57/23 की 1.518 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 13/13 के मुर्ब्या नम्बर 5, 57/8 की 3.542 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 14/14 के मुर्ब्या नम्बर 22 की 1.518 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 23/23 के मुर्ब्या नम्बर 1.518 हेक्टैयर, खाता संख्या 79/77 के मुर्ब्या नम्बर 22 की 3.036 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 87/85 के मुर्ब्या नम्बर 23 की 3.035 हेक्टैयर व खाता संख्या 105/100 के मुर्ब्या नम्बर 2, 3, 57/10 की 9.487 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	जसविन्द्र कौर पत्नी राज सिंह उर्फ बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर (4.031 है.)	30 एफ	3	6,7	0.506 हेक्टैयर	नहरी	4.20
				8	0.127 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				13	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				14 ता 17	1.012 हेक्टैयर	नहरी	8.40
				18	0.127 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				23	0.114 हेक्टैयर	नहरी	0.95
				24	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.88
				23	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				2	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				9 ता 12	1.012 हेक्टैयर	नहरी	8.40
				22	0.071 हेक्टैयर	नहरी	0.59
				28 एफ	37	11	0.253 हेक्टैयर
2	संदीप कौर पत्नी जगवीर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर (0.669 है.)	30 एफ	3	3	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				4,5	0.506 हेक्टैयर	नहरी	4.20
				57/10	0.037 हेक्टैयर	मै.मु.खा	0.31
3	करणी सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर (7.972 है.)	30 एफ	5	1 ता 4	1.012 हेक्टैयर	नहरी	8.40
				7 ता 20	3.542 हेक्टैयर	नहरी	29.40
				21	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				22	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.88
				23	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				24	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.88
				6	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				28 एफ	30		

जपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

			53/9	15 ता 20	1.518 हेक्टैयर	नहरी	12.60
				21	0.102 हेक्टैयर	नहरी	0.85
				22	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				23	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				24	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				25	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
					0.127 हेक्टैयर	गै.मु.खा	1.05
4	मनजीत सिंह पुत्र करणी सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। (1.820 है.)	28 एफ	39	1	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.88
				2	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.88
				3	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				8 ता 10	0.759 हेक्टैयर	नहरी	6.30
		30 एफ	30	21	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
			3	25	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.89
			57/10		0.026 हेक्टैयर	गै.मु.खा	0.0
5	हरजिन्द्र कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। (2.277 है.)	28 एफ	39	11 ता 13	0.759 हेक्टैयर	नहरी	6.30
				18 ता 23	1.518 हेक्टैयर	नहरी	12.60
6	जगवीर सिंह पुत्र राज सिंह उर्फ बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। (4.491 है.)	30 एफ	22	13/2	0.177 हेक्टैयर	नहरी	1.47
				18,19	0.506 हेक्टैयर	नहरी	4.20
				20	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				21	0.202 हेक्टैयर	नहरी	1.68
				22	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				23	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				7/1	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				8,9	0.506 हेक्टैयर	नहरी	4.20
				10	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				11	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.88
				12	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				13/1	0.076 हेक्टैयर	नहरी	0.63
				1	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				2 ता 4	0.759 हेक्टैयर	नहरी	6.30
				5	0.160 हेक्टैयर	नहरी	1.33
				6	0.232 हेक्टैयर	नहरी	1.93
				7/2	0.025 हेक्टैयर	नहरी	0.21
7	वीरेन्द्र बराड़ पुत्र हरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 29 एफ तहसील श्री करणपुर (1.054 हेक्टैयर) सर्वजीत कौर बराड़ पत्नी हरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर (2.109 हेक्टैयर)	30 एफ	3	1, 2	0.506 हेक्टैयर	नहरी	4.20
				3	0.127 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				8	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				9 ता 12	1.012 हेक्टैयर	नहरी	8.40
				13	0.127 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				18	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				19, 20	0.506 हेक्टैयर	नहरी	4.20
				21	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				22	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
				23	0.114 हेक्टैयर	नहरी	0.95
			57/10		0.063 हेक्टैयर	गै.मु.खा	0.0

उपसहाय्य अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

8	मनजीत सिंह पुत्र करणी सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील श्री करणपुर(0.623 है.)	28 एफ	30	3,4	0.506 हेक्टेयर	नहरी	4.20
	जसविन्द्र कौर पत्नी राज सिंह उर्फ बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 25 एफ गुलाबेवाला(0.490 है.)		37	5/1 20,21	0.101 हेक्टेयर 0.506 हेक्टेयर	नहरी नहरी	0.84 4.20

शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नकशा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलेक्टर पंच पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलेक्टर पंच पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर